संख्या-110/882/84-1-14-14 बजट/2013टीसी

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 04 दिसम्बर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत अनुपूरक से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2541/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0अनु0/14-15, दि0 12-09-2014, एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014, दिनॉक 28-11-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के अधीन लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान" के अन्तर्गत अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में मूल बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 28,54,30,000/- के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक से प्राविधानित धनराशि रू0 11,80,81,000/-(रूपया ग्यारह करोड अस्सी लाख इकयासी हजार) मात्र अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनॉक 02-4-2014 एवं 23-07-2014 द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4
01-वेतन	116461	27352	143813
02-मजदूरी	645	-	645
03-मंहगाई भत्ता	122284	58148	180432
04-यात्रा व्यय	800	-	800
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400	-	400
06-अन्य भत्ते	15254	9668	24922
07-मानदेय	1	-	1
08-कार्यालय व्यय	2975	-	2975
09-विद्युत देय	3850	500	4350
10-जलकर/जल प्रभार	200	-	200
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2000	-	2000
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5400	-	5400
13-टेलीफोन पर व्यय	1800	-	1800
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	425	-	425
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100	11922	12022
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1000	4826	5826

http://shasanadesh.up.nic.in

18-प्रकाशन	200	-	200
22-अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	100	-	100
29-अनुरक्षण	2500	-	2500
42-अन्य व्यय	300	-	300
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200	-	200
45-अवकाश यात्रा व्यय	400	-	400
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	2375	-	2375
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी लेखन सामग्री का क्रय	2660	-	2660
49-चिकित्सा व्यय	2800	-	2800
51-वर्दी वेतन	300	-	300
कुल योग	285430	118081	403511

रू0 11,80,81,000/-(रूपया ग्यारह करोड अस्सी लाख इकयासी हजार) मात्र

2- शासनादेश संख्या-92/275/84-1-14-14 बजट/2013, दिनॉक 02 अप्रैल, 2014 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी तथा वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई 2014 एवं दिनॉक 28 नवम्बर, 2014 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>सख्या-110/882(1)/84-1-14-तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-संयुक्त सचिव,/आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग।
10-गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in